फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती वालीबाई **विपक्षी : श्री रामा**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 21/21**

जीसीएमएस : 2021/62

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण द्वारा काउन्टर वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त भूमि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 395 पर दर्ज आराजी नम्बर 1489, 1490, 1491, 1492 किता 4 कुल रकबा 0.7851 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 326 पर दर्ज आराजी नम्बर 1609 रकबा 0.0971 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य खातेदार मांगीबाई पत्नी पोखर के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण की मौरूसी भूमि होना बताकर जरिये काउन्टर वाद अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 1 एवं मांगीबाई खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन का बिन्दू विपक्षी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो इससे उनके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा विपक्षी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested